16

संख्या–814 /XLI-1/2012–22/12

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विपिन त्रिपाठी कुमायूँ प्रौद्योगिकी संस्थान,
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 01 सितम्बर, 2012

विषयः– **विपिन त्रिपाठी कुमायूँ प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–वि0त्रि0कु0प्रौ0सं0/03/2012–13/546 दिनांक 26.07.2012 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 26.07.2012 तथा वित्त विभाग शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19.06.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में विपिन त्रिपाठी कुमायूँ प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट के कार्मिकों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु द्वितीय किश्त (दिनांक 01.08.2012 से 30.11.2012 तक) के रूप में आयोजनागत पक्षान्तर्गत ₹66.67 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्षान्तर्गत ₹166.67 लाख अर्थात कुल ₹233.34 लाख (रूपये दो करोड़ तैतीस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि अधोउल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– वचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किय जायेगा।

3– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

7– अगली किस्त हेतु प्रस्ताव करते समय सभी मदों अन्तर्गत प्राप्त आय के सापेक्ष मदवार व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं संस्था के पास उपलब्ध धनराशि का विवरण भी प्रस्तुत किया जाय।

8– आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9– संस्था का अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी रानीखेत द्वारा सीधे आपको कर दिया

जायेगा। संबंधित कोषागार बीजक एवं दिनांक की सूचना शासन को तत्काल भेजी जाय।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–11 के आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत पक्षान्तर्गत लेखाशीर्षक–2203–तकनीकी शिक्षा–00–112–इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान–04–00–इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा)–43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान मद के नामें डाला जायेगा।

11– जिन मदों में वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत बजट के सापेक्ष धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, उन मदों में पूर्व उपलब्धता एवं वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

12– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 एवं शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19.06.2012 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, मांजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. कोषाधिकारी, रानीखेत।
6. वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
8. बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(एस.एस.टोलिया)
अनु सचिव।